भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4186

मंगलवार, 19 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

मेक इन इंडिया 2.0

4186. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेक इन इंडिया 2.0 के अंतर्गत ओडिशा में किसी क्षेत्र में, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा या जैविक रसायन जैसे क्षेत्रों में जिनमें राष्ट्रीय स्तर पर आयात प्रतिस्थापन प्रवृत्ति देखी गई है, अत्यधिक निवेश या औद्योगिक अपटेक देखा गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ओडिशा में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं के अंतर्गत प्रस्तावों या अनुमोदनों की स्थिति क्या है और बलांगीर जैसे पिछड़े जिलों में स्वीकृत या संचालित इकाइयों की संख्या कितनी है और क्या इन्हें राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है; और

(ग) क्या मंत्रालय ने भारत औद्योगिक भूमि बैंक (आईआईएलबी) या औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली (आईपीआरएस) के अंतर्गत ओडिशा के पश्चिमी जिलों के लिए विशिष्ट निवेश आउटरीच प्रयास किए हैं और यदि हां, तो बलांगीर क्षेत्र में औद्योगिक भूमि, पार्क की गुणवत्ता और निवेशकों की प्रतिक्रिया सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): निवेश को सुगम बनाने, नवप्रयोग को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम अवसंरचना का निर्माण करने और भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवप्रयोग का केंद्र बनाने के उद्देश्य से दिनांक 25 सितंबर, 2014 को 'मेक इन इंडिया' पहल की शुरुआत की गई थी। 'मेक इन इंडिया 2.0' 15 विनिर्माण क्षेत्रों सहित 27 क्षेत्रों पर फोकस कर रहा है। इसे विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। मेक इन इंडिया 2.0 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की सूची **अनुबंध-I** में प्रदान की गई है।

मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, पीएम गतिशक्ति, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर कार्यक्रम, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) को बढ़ावा देना और अनुपालन बोझ को कम करना, व्यवसाय सुधार कार्य

योजना (बीआरएपी), राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस), भारत औद्योगिक भूमि बैंक, परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी), एफडीआई नीति का उदारीकरण, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमें, भारतीय फुटवियर और लेदर विकास कार्यक्रम (आईएफएलडीपी) स्कीमें कुछ प्रमुख पहलें हैं जो देश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई हैं। उपरोक्त सभी पहलें/स्कीमें, ओडिशा सहित केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं।

मेक इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2025-26 में 100 करोड़ रुपए के परिव्यय से राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन (एनएमएम) की घोषणा की है। यह मिशन पांच प्रमुख क्षेत्रों, अर्थात व्यापार करने में सुगमता और उसकी लागत; अधिक मांग वाली नौकरियों हेतु भविष्य के अनुरूप तैयार कार्यबल; जीवंत और ऊर्जावान एमएसएमई क्षेत्र; प्रौद्योगिकी की उपलब्धता; और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद पर बल देगा।

ओडिशा सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (पीएमजीएस एनएमपी) में एकीकृत किया गया है। यह राष्ट्रीय स्तर का एकीकृत भू-स्थानिक मंच है, जो समयबद्ध और कुशल परियोजना नियोजन के लिए आवश्यक सभी प्रासंगिक डाटा और सूचनाएं प्रदान करता है। अब तक, पीएमजीएस एनएमपी के तहत केंद्र स्तर पर नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) तंत्र के माध्यम से 292 अवसंरचना परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया है। इनमें से 18 परियोजनाएं ओडिशा राज्य से संबंधित हैं।

सरकार ने हाल ही में 4,600 करोड़ रुपए के कुल निवेश से ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से 2034 कुशल पेशेवरों के लिए रोजगार पैदा होने और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण ईकोसिस्टम को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे बड़ी संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होंगे। ओडिशा में, ये इकाइयां SiCSem प्राइवेट लिमिटेड और 3D ग्लास सॉल्यूशंस इंक द्वारा स्थापित की जाएंगी।

ओडिशा में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलें की गई हैं, जो निम्नानुसार हैं:-

i. वर्तमान में पूरे राज्य में लगभग 486.66 मेगावाट की कुल क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।
ii. वित्त वर्ष 2026-27 तक आवासीय क्षेत्र के अंतर्गत एक करोड़ घरों में रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए **प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना** (पीएमएसजी:एमबीवाई) शुरू की गई है।

iii. **प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान** (पीएम-कुसुम) स्कीम का उद्देश्य, किसानों को स्टैंडअलोन सौर कृषि पंप स्थापित करने, मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ने और उनकी बंजर, परती या कृषि भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह स्कीम ओडिशा सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है।

(ख): इसके अलावा, भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के विजन को ध्यान में रखते हुए और भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने हेतु, 1.97 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय से 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमों की शुरुआत की गई है। इन स्कीमों में उत्पादन को व्यापक रूप से बढ़ाने, विनिर्माण आउटपुट में बढ़ोतरी करने और भविष्य में तीव्र गति से आर्थिक विकास में योगदान करने की क्षमता है। पीएलआई स्कीमों का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों में निवेश और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को आकर्षित करना; विनिर्माण क्षेत्र में दक्षता सुनिश्चित करना और व्यापक पैमाने की किफायत करना एवं भारतीय कंपनियों और विनिर्माताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। अब तक ओडिशा सहित देश भर के 14 क्षेत्रों में 806 आवेदन अनुमोदित किए जा चुके हैं। ओडिशा में इस योजना के अंतर्गत स्थापित विनिर्माण इकाइयों की क्षेत्रवार संख्या का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

डीपीआईआईटी के तत्वावधान में, और nsws.gov.in के माध्यम से सुलभ, राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस), उद्योग जगत के लिए सरकार से व्यवसाय (जी2बी) अनुमोदन और निवेशक-संबंधी मंज़ूरियों को सुगम बनाने हेतु एक वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है। यह सूचना समरूपता बनाकर और विभिन्न विभागीय पोर्टलों पर जाने की आवश्यकता को कम करके जी2बी अनुमोदन प्रक्रिया को सुचारू बनाता है। वर्तमान में, एनएसडब्ल्यूएस के माध्यम से पीएलआई स्कीमों के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान करने की व्यवस्था नहीं है।

भारत औद्योगिक भूमि बैंक (आईआईएलबी) देशभर में उपलब्ध औद्योगिक भूमि तक पहुंच हेतु निवेशकों के लिए एक जीआईएस-आधारित प्लेटफ़ॉर्म के रूप में कार्य करता है। यह स्वतंत्र रूप से ज़िला-विशिष्ट या क्षेत्र-विशिष्ट निवेश प्राप्त करने का कार्य नहीं करता है; ऐसे प्रयास आम तौर पर संबंधित राज्य सरकारों और उनकी औद्योगिक विकास एजेंसियों द्वारा किए जाते हैं। आईआईएलबी के वर्तमान डाटाबेस के अनुसार, बलांगीर क्षेत्र सहित पश्चिमी

ओडिशा के 9 जिलों में 36 औद्योगिक पार्कों को भूमि उपलब्धता और अवसंरचना की विशेषताओं के विवरण के साथ मैप किया गया है।

इसके अलावा, विभाग ने ओडिशा सहित देशभर में आंतरिक अवसंरचना, उपयोगिताओं, कनेक्टिविटी, पर्यावरण, सुरक्षा जैसे मापदंडों के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रो/मंत्रालयों/विभागों द्वारा इस कार्य के तहत नामित औद्योगिक पार्कों, ज़ोनों की गुणवत्ता और अवसंरचना की तैयारी का आकलन करने के लिए, औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली (आईपीआरएस) 2.0 शुरू की है और अक्तूबर, 2021 में अपनी रिपोर्ट जारी की। आईपीआरएस 2.0 रिपोर्ट पार्क-विशिष्ट निवेशक प्रतिक्रिया डेटा के बजाय समग्र जानकारी प्रदान करती है। हालांकि, इस कार्य में ओडिशा के जिन पार्कों की रेटिंग की गई, वे भूमि उपलब्धता, पार्क की गुणवत्ता और निवेश प्रोत्साहन की तैयारी के संदर्भ में राज्य की तुलनात्मक स्थिति को दर्शाते हैं। निवेशक, आईआईएलबी पोर्टल के माध्यम से बलांगीर क्षेत्र और उसके आसपास भूमि की उपलब्धता सहित विशिष्ट स्थल-स्तरीय जानकारी के लिए ऐसे पार्कों का विवरण प्राप्त कर सकते हैं।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 19 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4186 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

विनिर्माण क्षेत्र

i. एरोस्पेस और रक्षा
ii. ऑटोमोटिव और ऑटो घटक
iii. फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण
iv. जैव प्रौद्योगिकी
v. पूंजीगत वस्तुएं
vi. वस्त्र एवं परिधान
vii. रसायन और पेट्रो रसायन
viii. इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और मैन्यूफैक्चरिंग (ईएसडीएम)
ix. चमड़ा और फुटवियर
x. खाद्य प्रसंस्करण
xi. रत्न और आभूषण
xii. शिपिंग
xiii. रेलवे
xiv. निर्माण
xv. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा

सेवा क्षेत्र

i. सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं (आईटी और आईटीईएस)
ii. पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं
iii. मेडिकल वैल्यू ट्रैवल
iv. परिवहन और लॉजिस्टिक्स सेवाएं
v. लेखा और वित्त सेवाएं
vi. ऑडियो विजुअल सेवाएं
vii. कानूनी सेवाएं
viii. संचार सेवाएं
ix. निर्माण और इससे संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएं
x. पर्यावरणीय सेवाएं
xi. वित्तीय सेवाएं

xii. शिक्षा सेवाएं

*****

अनुबंध-II

दिनांक 19 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4186 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्रम सं.	**क्षेत्र**	**विनिर्माण इकाईयों की संख्या**
1	फार्मास्यूटिकल औषधियां	0
2	व्यापक स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण	0
3	टेलीकॉम और नेटवर्किंग उत्पाद	0
4	खाद्य उत्पाद	5
5	बल्क औषधियां	0
6	चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण	0
7	व्हाइट गुड्स (एसी और एलईडी)	1
8	ड्रोन और ड्रोन संबंधी घटक	0
9	आईटी हार्डवेयर 2.0	0
10	ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक	0
11	वस्त्र उत्पाद:एमएमएफ घटक और तकनीकी वस्त्र	0
12	उच्च दक्षता वाले सोलर मॉड्यूल(भाग I और II)	2
13	एडवांस्ड केमेस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी	0
14	विशेष इस्पात	16
कुल		24

(*पीएलआई कार्यान्वयन मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार*)

*****